## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 18/2015 निर्णय दिनांक: 09.02.2023

रामचन्द्र पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. शुभकरण पुत्र रामदेवा जाति जाट निवारी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. श्रीचन्द पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. सोहनराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. गुड्डी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. राधाकिशन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. बृजलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. बिमला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. काली पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. जसोदा पत्नी स्व. रामजस जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
10. विमलादेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी गोपालसर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।
12. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा श्रीडूंगरगढ़।

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र सिंह मान अभिभाषक वादी
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 6 व 9
3. एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5, 7,8,10 व 12
4. पैरोकारराज प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) सत्यमेव जयते

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 92क, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एलआरएक्ट**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के पिता चूनाराम पुत्र ठाकरराम की खातेदारी व कब्जा काश्त का एक खेत खसरा नम्बर 295/84 तादादी 50 बीघा 03 बिस्वा वाकेरोही गोपालसर में स्थित रहा है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 129 तादादी 0.88 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 131 तादादी 11.80 हैक्टेयर कायम हुए हैं। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा भूमि में 7.85 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम, 2.10 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम, 2.10 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम, 0.25 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम, 0.38 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या [illegible] के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह है कि खेत खसरा नम्बर 286/84 तादादी 35 बीघा 08 [illegible] गोपालसर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 के नाम से रही है। उक्त खसरा [illegible] के कालान्तर में दो नये खसरे नम्बर 110 तादादी 6.95 हैक्टेयर व खसरा नम्बर [illegible] तादादी 2.00 हैक्टेयर कायम कर दिए गए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मौका स्थिति के अनुसार खसरा [illegible] 110 में ही 35 बीघा 08 बिस्वा तदनुसार 8.95 हैक्टेयर भूमि पूरी होती है। खसरा नम्बर 123 तो वर्तमान खसरा नम्बर 131 का ही भाग है यानि मौका पर खसरा नम्बर 129, 131 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.14 18:31:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

123 तीनों खसरों की भूमि मिलाकर 12.68 हैक्टेयर भूमि होती है। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 131 का रकबा 11.80 हैक्टेयर दर्शित किया गया है व खसरा नम्बर 129 का रकबा 0.88 अंकित किया जाकर कुल रकबा 12.68 हैक्टेयर कर दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 131 का रकबा मौका पर 9.80 हैक्टेयर ही होता जो खसरा नम्बर 123 की 2.00 हैक्टेयर भूमि को शामिल करने पर ही भूमि पूरी होती है। यह है कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गलत रूप से रोही गोपालसर के खेत खसरा नम्बर 295/84 की भूमि में एक नया खसरा नम्बर 123 तादादी 2.00 हैक्टेयर बनाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 5 ता 9 के नाम दर्ज कर दिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 की भूमि तो खसरा नम्बर 110 में ही 8.95 हैक्टेयर पूरी हो जाती है। खसरा नम्बर 123 की भूमि पर प्रतिवादी सं. 8.95 हैक्टेयर पूरी हो जाती है। खसरा नम्बर 123 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 का नाम गलत अंकित चला आ रहा है इस प्रकार खसरा नम्बर 123 का रकबा खसरा नम्बर 110 में शामिल किया जाकर खसरा नम्बर 123 का रकबा डिलिट किया जावे व उसकी तरमीम खसरा नम्बर 131 व 129 में शामिल किया जाकर उसकी दुरूस्ती की जावे। यह है कि खसरा नम्बर 110 के वर्तमान खसरा नम्बर 521/110 तादादी 3.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 533/520 तादादी 1.7350 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 534/520 तादादी 1.7450 हैक्टेयर कायम हो चुके है। खसरा नम्बर 521/110 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 9 के नाम, खसरा नं 533/520 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 10 के नाम व खसरा नम्बर 534/520 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 6 व 8 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चूंकि खसरा नम्बर 110 का रकबा 6.95 हैक्टेयर किया गया है जबकि उक्त रकबा मौका पर 8.95 हैक्टेयर है। यानि खसरा नम्बर 110 में जो 2.00 हैक्टेयर भूमि कम दर्शित की गई है वो भूमि खसरा नम्बर 123 में गलत रूप से अंकित की गई है जबकि मौका के अनुसार खसरा नम्बर 110 का रकबा 8.95 हैक्टेयर होना चाहिए था **जिसकी** दुरूस्ती करवाया जाना भी कानूनन आवश्यक है जिसके लिए यह रिकॉर्ड दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 129 व 131 व 123 की भूमि मौका पर एकल है तथा विभाजित है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 131 के पश्चिमी तरफ प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 4 से पूर्वी तरफ वादी काबिज है जिस पर वादी ने अपने हिस्से में ट्यूब वैल बना रखा है व वादी से पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 3 से पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 की खातेदारी खसरा नम्बर 521/110, खसरा नम्बर 533/520 व खसरा नम्बर 534/520 के रूप में अलग दर्ज है। खसरान 129 व 131 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त चली आ रही है। उक्त वादगत खसरान भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं किया हुआ है जिसके कारण वादी को अपने खातेदारी भूमि पर स्वेच्छापूर्वक विकास कार्य करवाने, ऋणादि लेने में असुविधा हो रही है। वादीने कई बार प्रतिवादीगण से मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने का व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण जानबूझकर मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन नहीं करवाना चाहते है व ना ही रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाना चाहते है तथा येन-केन प्रकारेण वादी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहते [illegible] कि 01.03.2015 को वादी ने फिर से प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो मौका पर [illegible] काश्त के अनुसार सहमति से राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन [illegible] करवा लेवे तो प्रतिवादीगण विभाजन करवाने व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने से स्पष्ट इन्कार हो गये ऐसी स्थिति में वादी के पास विभाजन व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु दावा प्रस्तुत किए जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादी वादगत खेत खसरा नम्बर 129 व 131 का खातेदार काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.14 18:31:16 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

काश्तकार होने के कारण वादाधार हासिल है व प्रतिवादीगण द्वारा सहमति से खाता विभाजन करवाने से व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने से दिनांक 01.03.2015 को इन्कार कर देने के कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण हासिल हुआ है। यह है कि वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड का संधारण प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा किया जाता है जिसे आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है परन्तु प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध कोई विशेष अनुतोष की मांग नहीं की गई है। वादी ने दावा घोषणात्मक, विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती के अनुतोष का प्रस्तुत किया है। स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु प्रतिवादीगण वादगत खसरा भूमि में रद्दोबदल व विक्रय, हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रहे है ऐसी स्थिति में अगर स्टेट को दो माह का कानूनी नोटिस देकर इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो जावेंगें और वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से प्रार्थना–पत्र धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् से अनुमत से प्राप्त कर ली गई है। यह है कि वादी संख्या 1 ने अपने 7.85 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 से ऋण ले रखा है। वादी के नाम उक्त रकबा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 के यहां राजस्व रिकॉर्ड में रहन दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 12 को पक्षकार संयोजित किया गया है। यह है कि वादगत खेत रोही गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने से श्रीमान्जी को दावा सुनने का क्षेत्राधिकार हासिल है। यह वादिनी का दावा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह है कि दावा हर तरह से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा वादी प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि घोषित किया जावे कि पुराने खेत खसरा नम्बर 286/84 जिसके नये खसरा नम्बर 123 तादादी 2.00 हैक्टेयर रोही गोपालसर के सम्बन्ध में जो तरमीम रेवेन्यू नक्शे में की गई है वो सही नहीं है तदनुसार रेवेन्यू नक्शे में प्रतिवादी सं. 5 ता 9 के नाम की गई तरमीम को वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 123 की तादादी 2.00 हैक्टेयर खसरा नम्बर 110 में शामिल किया जाकर, खसरा नम्बर 123 की तादादी 2.00 हैक्टेयर डिलिट किया जावे व खसरा नम्बर 123 की तरमीम खसरा नम्बर 131 व 129 में शामिल किया जाकर उसकी दुरूस्ती की जावे।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 129 व 131 व 123 की भूमि मौका पर एकल है तथा विभाजित है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 131 के पश्चिमी तरफ प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है तथा प्रतिवादी सं. 4 से पूर्वी तरफ वादी काबिज है जिस पर वादी ने अपने हिस्से में ट्यूब वैल बना रखा है व वादी से पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 3 से पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है के अनुसार खाता विभाजन मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार किया जाकर राजस्व अक्स में अलग से तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 11 [illegible] उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 11 से करवाई जावे।

(ग) कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से [illegible] फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 129 तादादी 0.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 तादादी 11.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 तादादी 2.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 521/110 तादादी 3.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 533/520 तादादी 1.7350 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 534/520 तादादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.14 18:31:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

1.7450 हैक्टेयर वाकेरोही गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ को विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना व रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाये बिना किसी को भी विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करें, वादगत खसरान भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करें ना ही वादी को उसके हिस्से से बेदखल करें, कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से कोई बाधा विघ्न नहीं डाले व ना ही किसी प्रकार से दखलअन्दाजी पैदा करें ना ही वादी के कब्जे काश्त में प्रवेश करें ना ही कोई ऐसा कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे वादी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(घ) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(ड़) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो दौराने दावा हितकर वादी हो वह भी प्रतिवादीगण से आज्ञाप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5, 8,10,12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 7 द्वारा जवाब पेश नहीं करनें के कारण जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 6 व 9 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया गया। तनकीहात कायम की जाकर व्याख्या की गई। तनकीहात संख्या 1 से 4 को सिद्ध करने का भार वादी एवं तनकीहात संख्या 5 से 6 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण था। वादी द्वारा तनकी संख्या 1 से 4 को सिद्ध करनें पर तनकीहात संख्या 1 से 4 वादी के पक्ष में साबित होती है, परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 6 व 9 द्वारा तनकीहात संख्या 5 से 6 को साबित नहीं करनें के कारण तनकीहात संख्या 5 व 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। वादी द्वारा साक्ष्यवादी PW-1 में रामचन्द्र एवं PW-2 गणेशाराम व PW-3 कालूदास के शपथ पत्र पेश किये गये। वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 19 करवाये गये। वकील प्रतिवादी द्वारा DW-1 में बृजलाल का शपथ पत्र पेश किया गया। गवाहो के बयान लेखबद्ध किये गये। बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 286/84 तादादी 35 बीघा 08 वाकेरोही गोपालसर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 के नाम से रही है। उक्त खसरा भूमि के कालान्तर में दो नये खसरे नम्बर 110 तादादी 6.95 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 123 तादादी 2.00 हैक्टेयर कायम कर दिए गए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मौका स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 110 में ही 35 बीघा 08 बिस्वा तदनुसार 8.95 हैक्टेयर भूमि पूरी होती है। खसरा नम्बर 123 तो वर्तमान खसरा नम्बर 131 का ही भाग है यानि मौका पर खसरा नम्बर 129, 131 व 123 तीनों खसरों की भूमि मिलाकर 12.68 हैक्टेयर भूमि होती है। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 131 का रकबा 11.80 हैक्टेयर दर्शित किया गया है व खसरा नम्बर 129 का रकबा 0.88 अंकित किया जाकर कुल रकबा 12.68 हैक्टेयर कर दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 131 का रकबा मौका पर 9.80 हैक्टेयर ही होता जो खसरा नम्बर 123 की 2.00 हैक्टेयर भूमि को शामिल करने पर ही भूमि पूरी होती है। यह है कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गलत रूप से रोही गोपालसर के खेत खसरा नम्बर 295/84 की भूमि में एक नया खसरा नम्बर 123 तादादी 2.00 हैक्टेयर बना[illegible] रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 5 ता 9 के नाम दर्ज कर दिया है जबकि प्रतिवादी [illegible] 5 [illegible] 9 की भूमि तो खसरा नम्बर 110 में ही 8.95 हैक्टेयर पूरी हो[illegible] भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 को मौका पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त खसरा 123 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 का नाम गलत अंकित चला आ[illegible]हा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 123 का रकबा खसरा नम्बर 110 में शामिल किया जाकर खसरा नम्बर 123 का रकबा डिलिट किया जावे व उसकी तरमीम खसरा नम्बर 131 व 129 में शामिल किया जाकर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.14 18:31:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उसकी दुरूस्ती की जावे। यह है कि खसरा नम्बर 110 के वर्तमान खसरा नम्बर 521/110 तादादी 3.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 533/520 तादादी 1.7350 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 534/520 तादादी 1.7450 हैक्टेयर कायम हो चुके है। खसरा नम्बर 521/110 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 9 के नाम, खसरा नं 533/520 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 10 के नाम व खसरा नम्बर 534/520 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 6 व 8 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चूंकि खसरा नम्बर 110 का रकबा 6.95 हैक्टेयर किया गया है जबकि उक्त रकबा मौका पर 8.95 हैक्टेयर है। यानि खसरा नम्बर 110 में जो 2.00 हैक्टेयर भूमि कम दर्शित की गई है वो भूमि खसरा नम्बर 123 में गलत रूप से अंकित की गई है जबकि मौका के अनुसार खसरा नम्बर 110 का रकबा 8.95 हैक्टेयर होना चाहिए था। वादगत खेत खसरा नम्बर 129 व 131 व 123 की भूमि मौका पर एकल है तथा विभाजित है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 131 के पश्चिमी तरफ प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 4 से पूर्वी तरफ वादी काबिज है जिस पर वादी ने अपने हिस्से में ट्यूब वैल बना रखा है व वादी से पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 3 से पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 की खातेदारी खसरा नम्बर 521/110, खसरा नम्बर 533/520 व खसरा नम्बर 534/520 के रूप में अलग दर्ज है। खसरान 129 व 131 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त चली आ रही है। उक्त वादगत खसरान भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं किया हुआ है। एवं वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवदेन किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 6 व 9 के अधिवक्ता द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 521/110 तादादी 3.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 533/520 तादादी 1.7350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 534/520 तादादी 1.7450 हैक्टेयर रोही गोपालसर व खसरा नम्बर 123 तादादी 2.00 हैक्टेयर रोही गोपालसर की खातेदारी वादी के नाम नहीं है, ना ही इन खसरान की भूम पर वादी का कोई कब्जा काश्त है, इसलिए वादी को इन खसरान की भूमि बाबत किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी इन खसरान बाबत न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी ने गलत तथ्यों पर दावा पेश किया है। वादी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आया है। खसरा नम्बर 129, 131 की खातेदारी व खसरा नम्बर 123 की खातेदारी अलग–अलग है। खसरा नम्बर 129, 131 की खाता संख्या 167 है, जबकि खसरा नम्बर 123 के खाता संख्या 141 है, दोनों खाते अलग–अलग है। खसरा नम्बर 123, खसरा नम्बर 129, 131 का भाग नहीं है। खसरा नम्बर 129, 131 मौके पर खसरा नम्बर 123 से अलग है। वादी को खसरा नम्बर 129, 131 बाबत् ही अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है। खसरा नम्बर 123 बाबत वादी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 123 की भूमि खसरा नम्बर 129, 131 से अलग है, इसलिए खसरा नम्बर 123 को डिलिट करवाने का वादी को कोई अधिकार नहीं है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.14 18:31:16 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर [illegible] पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। [illegible] 16 व [illegible] श्रीडूंगरगढ़ के आदेश क्रमांक : 2636 के तहत् प्रस्तुत मौका [illegible] 2010 के द्वारा खसरा नम्बर 123 का अंकन 110 के बजाय खसरा नंबर 131 के खाते[illegible] के पक्ष में मुताबिक मौका कब्जा की रिपोर्ट, दिनांक 28.04.2022 की मौका रिपोर्ट की मद संख्या 6 में खाता संख्या 148 खसरा नंबर 123 तादादी 2.00 हैक्टेयर उक्त भूमि में मौके पर रामचन्द्र पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी गोपालसर ढाणी बनाकर सहपरिवार निवास कर रहा है एवं मोके पर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कब्जा काश्त है एवं मौका रिपोर्ट 28.06.2022 में ग्राम गोपालसर के रिकार्ड व मौका अनुसार खसरा नंबर 131 तादादी 11.80 हैक्टेयर मूल से निम्नलिखित खसरे विभाजन व बैचान के स्वरूप से बने जिनका विवरण निम्नानुसार हैः— ख.न. 545/131 तादादी 7.85 है, ख.न. 556/546 तादादी 1.8471, 557/546 तादादी .2529 है. ख.न. 558/547 तादादी 1.4703 हैक्टयर, 559/547 तादादी .0297, ख.न. 548/131 तादादी 0.1000 हैक्टेयर, ख.न. 549/131 तादादी 0.2500 हैक्टेयर उक्त सभी खसरों में से खसरा संख्या 545/131 जो कि राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र पुत्र चूनाराम जाति जाट सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज है और रकबा 7.85 हैक्टेयर है वह मौके पर कम है मूलत खातेदार रामचन्द्र पुत्र चूनाराम जाति जाट ने ग्राम गोपालसर के नक्शा अक्श मुताबिक खसरा 123 रकबा 2.00 हैक्टेयर तरमीम हो रखी है पर ढाणी बना कर (कच्ची झोपडी) निवास व काश्त कर रहा है यानि खसरा नंबर 123 रकबा 2.00 हैक्टेयर मौके वाली जमीन खसरा नंबर 131 मूल खसरे से बने खसरों में शामिल कर ली जाए तो राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति में भिन्नता नही होगी। खसरा नंबर 123 रकबा 2.00 हैक्टेयर को नक्शा अक्स से डिलिट/खत्म कर खसरा नंबर सं. 110 मूल जिसका मौके पर कब्जा 8.95 हैक्टेयर है तथा राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 521/110 रकबा 3.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533/520 रकबा 1.7350 हैक्टेयर, 534/520 रकबा 1.7450 यानि किता 3 रकबा 6.95 हैक्टयर ही होता है अतः खसरा संख्या 123 के प्रभावित खातेदारों को अपने मूल खसरा संख्या 110 में रकबा 2.00 हैक्टेयर मौके पर 6.95 हेक्टेयर की बजाय 8.95 होने के कारण राजस्व रिकार्ड के अनुपात मे शामिल करतें हुए पुनः विभाजन व नक्शा अक्स में मुताबिक कब्जे के तरमीम की जानी उचित की रिपोर्ट पेश कर नजरी नक्शा में यह दर्शाया गया है कि मूल खसरा नंबर 131 रकबा 11.80 हैक्टेयर से बने खसरे अगर खसरा नंबर 123 रकबा 2.00 हैक्टेयर की तरमीम को खसरा संख्या 131 मूल से बने अन्य खसरों में शामिल कर पुनः संशोधन किया जाए तो मौका कब्जा व रिकार्ड में भिन्नता नहीं रहेगी एवं मूल खसरा संख्या 110 जो कि राजस्व रिकार्ड में 6.95 हैक्टेयर है तथा मौके पर 8.95 हैक्टयर है यानि खसरा नंबर 123 रकबा 2.00 हैक्टेयर के प्रभावित खातेदार के रकबे को मौका अनुसार मूल खसरा संख 110 को पुनः संशोधन कर राजस्व रिकार्ड में 8.95 हैक्टेयर किया जाकर नक्शा अक्स में पुनः शुद्ध तरमीम की जानी उचित होगी जिससे रिकार्ड व मौका कब्जा में भिन्नता नही रहेगी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पत्रावली एवं दस्तावेज एवं पैरोकारराज की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित होता है कि खसरा नंबर 123 नक्शा अक्स में गलत रूप से अंकित है। खसरा नंबर 123 का 2.00 हैक्टेयर रकबा मूल खसरा नंबर 110 में समाहित है। प्रदर्श— 18 जमाबन्दी गांव गोपालसर संवत 2069—2072 में अंकित विभाजन खसरा नंबर 545/131 पश्चिमी तादादी 7.85 हैक्टयर खसरा नंबर 547/131 पूर्वी दक्षिणी तरफ तादादी 1.50 हेक्टेयर खसरा नंबर 546/131 मध्य तादादी 2.10 हैक्टेयर खसरा नंबर 548/131 उतरपूर्वी 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 549/131 पूर्वी तादादी 0.25 हैक्टर अनुसार विभाजन सन् 2015 में हो चुका है। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.14 18:31:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

रोही ग्राम गोपालसर के खेत खसरा नंबर 123 नक्शा अक्स में गलत रूप से अंकित है खसरा नंबर 123 व मूल खसरा नंबर 131 की कुल तादादी 11.80 हैक्टेयर के नये खसरा नंबर 545/131 की मध्य रेखा को शून्य करतें हुए खसरा नंबर 123 को डिलिट किया जाता है तथा खसरा नंबर 123 का रकबा 2.00 हैक्टेयर जिसके मूल

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खसरा नंबर 286/84 मीन, खसरा नंबर 110 का मूल खसरा नंबर 286/84 मीन है। खसरा नंबर 123 का रकबा 2.00 हैक्टेयर खसरा नंबर 110 में अनुपातिक तौर से बढाया जाकर खसरा नंबर 110 की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 को खातेदार घोषित किया जाकर तरमीम कर शुद्ध किये जाने और मूल खसरा नंबर 110 का रकबा 6.95 हैक्टेयर के स्थान पर 8.95 हैक्टेयर कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। दिनांक 06.06.2022 में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।**

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.14 18:31:16 IST
Reason: SelfAttested

# अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

रामचन्द्र पुत्र चूनाराम जाति जाट निवारी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

**बनाम**

1. शुभकरण पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. श्रीचन्द पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. सोहनराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. गुड्डी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. राधाकिशन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. बृजलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. बिमला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. काली पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. जसोदा पत्नी स्व. रामजस जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
10. विमलादेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी गोपालसर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।
12. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा श्रीडूंगरगढ़।

मुकदमा नम्बर 18/2015

दावा बाबत घोषणात्मक, राजस्व अभिलेखों में संशोधन,विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा

निर्णय दिनाक: 09.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री महेन्द्र सिंह मान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5, 7, 8, 10, व 12 श्री पूनचन्द मारू अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 6 व 9, पैरोकारराज प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि रोही ग्राम गोपालसर के खेत खसरा नंबर 123 नक्शा अक्स में गलत रूप से अंकित है खसरा नंबर 123 व मूल खसरा नंबर 131 की कुल तादादी 11.80 हैक्टेयर के नये खसरा नंबर 545/131 की मध्य रेखा को शून्य करतें हुए खसरा नंबर 123 को डिलिट किया जाता है तथा खसरा नंबर 123 का रकबा 2.00 हैक्टेयर जिसके मूल खसरा नंबर 286/84 मीन, खसरा नंबर 110 का मूल खसरा नंबर 286/84 मीन है। खसरा नंबर 123 का रकबा 2.00 हैक्टेयर खसरा नंबर 110 में अनुपातिक तौर से बढाया जाकर खसरा नंबर 110 की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 को खातेदार घोषित किया जाकर तरमीम कर शुद्ध किये जाने और मूल खसरा नंबर 110 का रकबा 6.95 हैक्टेयर के स्थान पर 8.95 हैक्टेयर कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। दिनांक 06.06.2022 में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी... ......तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 09 माह 02 सन् 2023 को जारी किया गया ।

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी,

श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.14 18:31:16 IST
Reason: SelfAttested

| वादी | रुपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 100 | 1. [illegible] के लिए स्टाम्प | 0 |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 | 2. [illegible] के लिए स्टाम्प | 0 |
| 3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | 0 | 3. [illegible] की फीस | 0 |
| 4.........रूपये पर प्लीडर की फीस | 0 | 4. [illegible]यों के लिए निर्वाह भत्ता | 0 |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता | 0 | 5. [illegible]शिका की तामिल | 0 |
| 6.कमिश्नर की फीस | 0 | 6. कमिश्नर की फीस | 0 |
| 7.आदेशिका की तामिल | 0 | | |
| योग | 100 | योग | 0 |